UPKJ010008692026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या-1
जनपद-कन्नौज
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-355/2026

सुनील कुमार पुत्र नत्थू लाल,
निवासी चुरहिया, थाना व जनपद कन्नौज। .. **..आवेदक/अभियुक्त।**

प्रति

उ०प्र० राज्य **.....अभियोजन पक्ष।**

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. आवेदक/अभियुक्त **सुनील कुमार पुत्र नत्थू लाल** की ओर से विशेष सत्र परीक्षण संख्या **31/2019** अपराध अन्तर्गत धारा **395,506 भा०दं०सं०** थाना व जनपद कन्नौज में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उनके विद्वान अधिवक्ता राम सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार है कि दिनांक 17.09.2018 को प्रार्थिनी बैंक ऑफ इण्डिया कन्नौज से अपने खाता सं0-760210110010200 से अपने पुत्र राम रहीस के साथ रूपये 38,000/-रू० निकाले थे, रूपये निकालकर मोटरसाइकिल से गाँव वापस जा रही थी, तो रास्ते में बक्सपुर्वा से दो किलोमीटर पहले करीब 1:00 बजे मेरे गाँव के सुनील कुमार पुत्र नत्थूलाल, अवधेश पुत्र राम भरोसे, रामदयाल पुत्र विश्राम, रामनरेश पुत्र राजाराम, जीतनलाल पुत्र रामस्वरूप, महिपाल पुत्र राजाराम, मैकू पुत्र रूपलाल ने प्रार्थिनी को गाली देते हुये मोटरसाइकिल रोक ली और बोले साली बैंक से जो रूपये निकालकर लाई है मुझे दें। प्रार्थिनी ने हाथ जोडकर कहा कि हमारा आदमी मर चुका है मैं भैंस खरीदने के लिये रूपया लाई हूँ। मेरे बच्चे भूखे मर रहे है, तभी मेरे ब्लाउज में रखा पर्स व कान के कुंडल सोने के जबरदस्ती छीन लिये और मेरे पुत्र को पकड़ लिया कहा, अब जा तेरे परिवार वाले साले बहुत नेता बनते हैं अब पता चलेगा थाने अदालत अगर तूने किया तो जान से मार डालेगें। प्रार्थिनी ने सबके पैर पकड़ लिये और रोने विल्लाने लगी, तभी गाँव के नम्बरी पुत्र रामगुलाम व अन्य रहागीर लोग पीछे से आ गये जिन्होंने घटना देखी व बचाया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त को बिल्कुल झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है। वादिनी मुकदमा ने प्रार्थी/अभियुक्त के साथ मिलकर कृषि की थी, जिसमें आपस में बंटवारे को लेकर वादिनी ने अपने हिस्से का खर्चा नहीं दिया था, इसी लेन-देन के कारण आपस में विवाद हुआ था, जिस कारण वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के खिलाफ झूंठा मुकदमा दर्ज कराया है।वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त से रंजिश मानकर उसे धमकी दी थी कि तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करायेगें। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा व उसके पुत्र के साथ न ही मार पीट की है और न

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.03 16:26:58 IST
Reason: BAIL ALLOW
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

ही लूट कर रूपये निकाले थे, न जान से मारने की धमकी दी। वह पूर्णतया निर्दोष है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह भी नहीं लिखा गया है कि रूपये किसके द्वारा लूटे गये। वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त से स्वयं अपनी रंजिश होना स्वीकार करना बताया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा उक्त वाद में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इससे पूर्व कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने पर प्रार्थी न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर हाजिर अदालत आता रहेगा व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की कृपा करें।

4. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, कन्नौज द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक कन्नौज के तर्कों को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण आज तक अन्तरिम जमानत पर है। मामला परिवाद पर आधारित है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में इस स्तर पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुनील कुमार पुत्र नत्थू लाल** की ओर से विशेष सत्र परीक्षण संख्या **31/2019** अपराध अन्तर्गत धारा **395,506 भा०दं०सं०** थाना व जनपद कन्नौज के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **मु0 50,000/- (पच्चास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उपरोक्त धनराशि की **दो प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि की दाखिल करने पर निम्न शर्तों के बावत अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये कि-

I. अभियुक्त के विरूद्ध जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

II. अभियुक्त जमानत का दुरूप्रयोग नहीं करेगा।

III. अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति या साक्षी को न्यायालय के समक्ष तथ्यों को प्रकट न करने के लिये उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

उपरोक्त किसी शर्त के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट/न्यायालय अपनी संतुष्टि पर इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर सकता है।

दिनांक-20.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या-1, कन्नौज।
J.O.CODE-UP6489